कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक– 881 राँची, दिनांक– 01/9/2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **मेसर्स सी0सी0एल0 की मगध पूर्वी खुली खदान परियोजना हेतु चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अन्तर्गत 192.36 हे0 (वनभूमि–57.29 हे0 एवं जंगल झाड़ी–135.07 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/MIN/87235/2020) के संबंध में।**

प्रसंग :–
1. झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र संख्या–वनभूमि–26 / 2022–2249 दिनांक 02.08.2022
2. इस कार्यालय का पत्रांक 561 दिनांक 28.06.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयगत वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में वन विभागीय प्रासंगिक पत्र–1 एवं इस कार्यालय के पत्रांक 561 दिनांक 28.06.2022 के कंडिका–24 के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1053 दिनांक 29.08.2022 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ है, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

01.09.2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

1-9

(401)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक झारखण्ड

वन भवन डोरण्डा, राँची834002-

पत्रांक : - 1053 दिनांक: - 29/08/2022

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची।

विषयः- मेसर्स सी0सी0एल0 की मगध पूर्वी खुली खदान परियोजना हेतु चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अंतर्गत 192.36 हे0 (वनभूमि 57.29 हे0 एवं जंगल झाडी 135.07 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः- आपका ज्ञापांक 561 दिनांक 28.06.2022

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक पत्र के संदर्भ में वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में सम्बंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों - क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक हजारीबाग का पत्रांक 1910 दिनांक 26.08.2022 , वन संरक्षक चतरा एवं पार्ट-II में वन प्रमण्डल पदाधिकारी चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल के मंतव्य से सहमत होते हुए अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य निम्नवत हैः-

1. मेसर्स सेंट्रल कोल फील्ड (सीसीएल) लिमिटेड के मगध पूर्वी खुली खदान परियोजना हेतु चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अंतर्गत 192.36 हे0 (वनभूमि 57.29 हे0 एवं जंगल झाडी 135.07 हे0) शामिल हैं|
2. परियोजना के निकट ही आम्प्रपाली कोयला परियोजना सहित दो कोयला परियोजना चल रही हैं | है| अतः वन्यजीवों के पर्यावास, आवागमन पहले ही प्रभावित हैं तथा fragmented हो चुके हैं।
3. इस परियोजना में पूर्व में प्रस्तावित 96.72 हे0 वनभूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार ने Wildlife Conservation plan के शर्त पहले भी लगायी थी परन्तु उक्त शर्त के अधिरोपित होने के बावजूद प्रयोक्ता अभिकरण मेसर्स सी0सी0एल0 द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है |
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र वनभूमि चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल की दक्षिणी सीमा पर स्थित है और यह क्षेत्र एक ओर पलामू (पलामू व्याघ्र परियोजना का क्षेत्र) एवं दूसरी ओर Hazaribagh एवं अन्य वन्यप्राणी आश्रणीयों के मध्य अवस्थित है और इन वन क्षेत्र को जोड़ता है। | फलस्वरूप इस क्षेत्र में वन्यजीवों तथा विशेषकर जंगली हाथियों का आवागमन होता रहता है | वर्तमान में पहले से चले आ रहे खनन कार्यों के कारण जंगली हाथियों का आवागमन प्रस्तावित क्षेत्र के उत्तरी भाग में चला गया है और मगध पूर्वी खुली खदान परियोजना के स्वीकृति पश्चात् और बड़े क्षेत्र में खनन होने से जंगली हाथियों का आवागमन प्रभावित होने और Human animal conflict का खतरा और भी ज्यादा बढ़ने की पूर्ण संभावनाएं हैं।
5. प्रस्तावित वनभूमि जैव-विविधता की समृद्धि के मामले में भी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक और पारिस्थितिकी रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्योंकि मगध पूर्वी खुली खदान परियोजना से कन्वेयर कोरिडोर के द्वारा ही जल निकासी पिन्डार-कलकल नाला परियोजना के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूरब के ओर बहती है तथा कुहुबाद नाला पश्चिमी ब्लॉक सीमा के उत्तर से दक्षिणी ओर बहते हुए गढ़ी से मिलता है | परियोजना के दक्षिणी दिशा में नदी है तथा परियोजना के भीतर कई जल निकाय हैं |

6. अतः प्रयोक्ता अभिकरण की मदद से विषय विशेषज्ञों द्वारा क्षेत्र का गहन भ्रमण कर integrated study के उपरांत Comprehensive integrated Wildlife Management Plan को तैयार किया जाना लाभकर होगा ताकि इसे बफर क्षेत्र में लागू किया जा सके। इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Catchment area Treatment और लीज क्षेत्र में Eco-restoration का कार्य किया जाना आवश्यक है। स्पष्ट है कि इस तरह के एक दूसरे से जुड़े हुए वन क्षेत्र वन्यजीवों के समेकित आवागमन क्षेत्र के साथ-साथ जैव-विविधता से समृद्ध और पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण जीवन रेखा वाटरशेड में Comprehensive regional integrated Wildlife Management Plan का बनाना और कार्यान्वयन होना अतिशीघ्रता से आवश्यक है ताकि विभिन्न जारी खनन परियोजनाओं के वन्यजीवों, जैव-विविधता और पारिस्थितिकी पर पड़ रहे संयुक्त दुष्प्रभावों का समय से प्रशमन (mitigation) कर स्थायी एवं अपरिवर्तनीय (irreversible) नुक्सान से बचा जा सके |
7. पारिस्थितिकी पर खनन के आजीविका पर प्रभाव, और संबंधित खनन परियोजना के भीतर और आसपास के क्षेत्रों में वनस्पतियों और जीवों का आकलन प्रयोकता अभिकरण द्वारा विषय विशेषज्ञ/ विशेषज्ञों के माध्यम से किए जाने की आवश्यकता है। यह परिदृश्य क्षेत्रों में वनस्पतियों और जीवों पर डेटा के संग्रह के माध्यम से किया जा सकता है| यह landscape areas में वनस्पतियों और जीवों पर डेटा के संग्रह के माध्यम से किया जा सकता है और इस हेतु rare/endangered/unique species of flora and fauna को Jharkhand हेतु भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण (BSI) द्वारा The list of threatened plant species endemic to region, और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) द्वारा झारखंड की जीव-जंतु लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची को संदर्भ में रखा जाना अपेक्षित होगा ताकि प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में और उसके आसपास वैज्ञानिक डेटा का सत्यापन कर पारिस्थितिकी के संभावित कुप्रभाव की रोकथाम और शमन उपायों की निगरानी और बचाव हेतु उचित निर्णय लिया जा सके।
8. हाथियों की आबादी झारखंड में नए क्षेत्रों में फैल रही है और वन्यजीवों के आवासों के गंभीर विखंडन के कारण हाथियों की आवाजाही के क्षेत्र पहले ही प्रतिबंधित हो गए हैं। इसलिए संघर्ष क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा भी विशेष सहयोग की आवश्यकता होगी। यह मानव-हाथी सह-अस्तित्व क्षेत्र को समर्थन और बढ़ावा देकर किया जा सकता है ताकि परियोजना क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्र में वन्यजीव शमन उपायों के माध्यम से हाथियों के साथ-साथ मानव के कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके | जैसे- वॉच टावरों द्वारा समर्थित सामुदायिक फसल सुरक्षा को बढ़ावा देना (असम) और ओडिशा के "गजबंधु", खाद्यान्न भंडारण के लिए सुरक्षित डिब्बे या सामुदायिक पक्के गोदाम प्रदान करना (ओडिशा प्रैक्टिस खानी-धान), हाथियों के झुंड और अकेले बैल, स्ट्रीट लाइट के स्थान को साझा करने वाले क्षेत्र में पूर्व-अलर्ट सिस्टम स्थापित करना। हाथी पथ अवरोधों पर उपयुक्त ओवर/अंडरपास को परियोजना निर्माण के रूप में पहचान कर या पर्याप्त पानी के प्रावधान के साथ बांस और अन्य पसंदीदा पौधों का रोपण कर हाथी द्वंद को कम किया जा सके|
9. अतः अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य है कि उपरोक्त बिन्दुओं को भी विशेष ध्यान में रखते हुए विषयक प्रस्ताव अंतर्गत याचित/प्रस्तावित अपयोजन वनभूमि एवं आस पास के वन क्षेत्रों में वनों एवं वन्यप्राणियों पर प्रतिकूल प्रभाव पडने वाले क्षेत्र में समुचित संरक्षण/प्रबंधन करने, संभावित मानव-वन्यप्राणी द्वन्द से निपटने हेतु तथा इसके इर्द-गिर्द वन्यजीवों एवं हाथियों का आवागमन होने की स्थिति में प्रयोक्ता अभिकरण की मदद से विषय विशेषज्ञों द्वारा integrated study के उपरांत स्थानीय वन पदाधिकारियों के परामर्श एवं निदेशन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Project Cost पर complementary Site Specific Wildlife

Management Plan, जो Comprehensive regional integrated Wildlife Management Plan का part हो तैयार कर इसे समयवद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित होगा।

10. चुँकि उपर्युक्त विषयक परियोजना Open cast कोल माइनिंग से संबंधित है, अतः वन्यप्राणी संरक्षण के दृष्टिकोण से परियोजना क्षेत्र के 10 कि0मी0 की परिधि में Plan का सूत्रण किया जाना अनिवार्य होगा।
11. उपरोक्त सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए, विषय वस्तु विशेषज्ञों की सहायता से, परियोजना प्रस्ताव क्षेत्र के प्रभावित होने वाले क्षेत्र हेतु हाथियों और मानव-हाथी सह-अस्तित्व क्षेत्र के प्रबंधन के लिए विशेष रणनीतिक कार्य योजना और संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियों व जीव-जंतुओं की लुप्तप्राय प्रजातियों और पड़ने वाले संभावित कुप्रभाव की रोकथाम और शमन उपायों की निगरानी और बचाव सहित वन्यप्राणियों के habitat Fragmentation तथा वन्यप्राणी संरक्षण के दृष्टिकोण से प्रतिकूल प्रभाव पडने के परिपेक्ष्य में Project Cost पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्थानीय वन पदाधिकारियों के परामर्श एवं निदेशन में एक "साइट विशिष्ट वन्यजीव संरक्षण, प्रबंधन और शमन योजना" तैयार कर इसे समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित होगा।

विश्वासभाजन

29/8/2

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी
एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड